By e-mail
"अत्यावश्यक"

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांकः प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5596-5602 5603-5842 दिनांकः 14-3-2023

1. उपनिदेशक(क्षेत्रीय),
   स्थानीय निकाय विभाग,
   समस्त राजस्थान,
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं,
   समस्त राजस्थान।

विषयः—माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022—2023 में घोषित 5000 नये डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में।

प्रसंगः—विभागीय अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10..2021 एवं आदेश 20178 दिनांक 28.11.2022 एवं पत्र क्रमांक 21514—21763 दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र क्रमांक 1189—1202 दिनांक 23.01.2023 एवं क्रमांक 4578—4876 दिनांक 09.03.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2022—2023 में घोषित 5000 नये डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में प्रांसगिक पत्रो के द्वारा आपके क्षेत्राधिकार में स्थित नगरीय निकायों में डेयरी बूथो का चिन्हीकरण कर आंवटन प्रक्रिया की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये गये थे, लेकिन आपके द्वारा की गई कार्यवाही असंतोषजनक है, उक्त बजट घोषणा के संबंध में दिनांक 13.03.2023 से विधानसभा की कार्यवाही अपेक्षित है जिसमें उक्त घोषणा के संबंध में आंकड़े विधानसभा पटल पर मंगवाये जा सकते है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्राधिकार में स्थित नगरीय निकायो मे दिये गये लक्ष्य अनुसार डेयरी बूथो का आवंटन तीन दिवस मे प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत करावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकः प.8(क)(या)(246)/डीएलबी/2014/5843-5850 दिनांकः 14-3-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय आवासन एवं शहरी विकास विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, आर.सी.डी.एफ. जे.एल.एन मार्ग, जयपुर।
6. उपायुक्त यातायात आयुक्तालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. प्रोग्रामर (आई.टी.सैल), निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

D/Meenaji/JLO SIR-2022

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी